



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2017/चैत्र 2, 1939

No. 838]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2017/CHAITRA 2, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

(आयकर)

का.आ. 935(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन की रोकथाम करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार के तीसरे संशोधनकारी प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद तीसरा प्रोटोकॉल कहा गया है) पर नई दिल्ली में 30 दिसंबर, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, तीसरा प्रोटोकॉल 27 फरवरी, 2017 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि तीसरे प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 के अनुसार, तीसरे प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न तीसरे प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 18/2017/ 500/139/2002-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

“आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार

तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार का

तीसरा संशोधनकारी प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार जिस पर 24 जनवरी, 1994 को भारत में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे भारत में 29 जून, 2005 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद “2005 का प्रोटोकॉल कहा गया है”) से तथा 24 जून, 2011 को हस्ताक्षरित दूसरे प्रोटोकॉल से संशोधित किया गया था, (जिसे इसके बाद “करार” कहा गया है) को संशोधित करने के लिए तीसरा प्रोटोकॉल निष्पन्न करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

1. अनुच्छेद 9 का मौजूदा पैराग्राफ - करार के संबद्ध उद्यम को पैराग्राफ 1 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा; तथा
2. कथित पैराग्राफ 1 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा:

“2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।”

अनुच्छेद 2

इस करार के अनुच्छेद 13 - पूंजीगत लाभ को 1.4.2017 के प्रभाव से संशोधित किया जाएगा:

- (i) पैराग्राफ 4 का विलोपन करके; और
- (ii) निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़कर:

“4क. किसी कंपनी में 01 अप्रैल, 2017 के पूर्व अधिग्रहित शेयरों के हस्तांतरण से अभिलाभ, जो संविदाकारी राज्य का एक निवासी है, केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगा जिसमें हस्तांतरणकर्ता एक निवासी है।

4ख. 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किसी कंपनी में जो संविदाकारी राज्य की निवासी है, शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

4ग. तथापि, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4ख में संदर्भित अभिलाभ पर जो 01 अप्रैल, 2017 से शुरू होने तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान हुआ है, उस राज्य में कर लगाया जा सकता है जिसकी वह कंपनी, जिसके शेयरों को कर दर पर एक निवासी को हस्तांतरित किया जा रहा है, एक निवासी है जो उस राज्य में ऐसे अभिलाभों पर लागू कर दर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2, 3, 4क तथा 4ख में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।”

अनुच्छेद 3

करार को अनुच्छेद 24 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद को जोड़कर 1 अप्रैल, 2017 से संशोधित किया जाता है:

“अनुच्छेद 24क

1. किसी संविदाकारी राज्य का निवासी इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4क या पैराग्राफ 4ग के लाभों का हकदार नहीं होगा, यदि इसके कार्य ऐसे तरीके से प्रबंधित थे जिसका मुख्य उद्देश्य इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4क या पैराग्राफ 4ग, जैसा भी मामला हो, का लाभ उठाना था।

2. कोई फर्जी कंपनी जो खुद को किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने का दावा करती है, वह इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4क या पैराग्राफ 4 ग के लाभों की हकदार नहीं होगी। कोई फर्जी कंपनी निवासी की परिभाषा में आने वाली वह वैधानिक सत्ता है जिसका उस संविदाकारी राज्य में नगण्य या शून्य कारोबार प्रचालन हो या वास्तविक और लगातार कारोबारी गतिविधियां न की गयी हों।

3. किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को फर्जी कंपनी माना जाता है यदि उस संविदाकारी राज्य में प्रचालनों पर इसका वार्षिक व्यय, यथा मामला सिंगापुर में S\$ 200,000 या भारत में 5,000,000 रूपए से कम हो:

(क) इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4क के मामले में, लाभ उत्पन्न होने की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती 24 महीने की अवधि में 12 माह की प्रत्येक अवधि के लिए;

(ख) इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4ग के मामले में, लाभ उत्पन्न होने की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती 12 महीने की अवधि के लिए।

4. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को फर्जी कंपनी नहीं माना जाता यदि:

(क) वह किसी संविदाकारी राज्य के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो; या

(ख) उस संविदाकारी राज्य में प्रचालनों पर इसका वार्षिक व्यय, यथा मामला सिंगापुर में S\$ 200,000 या भारत में 5,000,000 रूपए के बराबर या इससे अधिक हो:

(i) इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4क के मामले में, लाभ उत्पन्न होने की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती 24 महीने की अवधि में 12 माह की प्रत्येक अवधि के लिए;

(ii) इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4ग के मामले में, लाभ उत्पन्न होने की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती 12 महीने की अवधि के लिए।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4(क) के प्रयोजनार्थ किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का तात्पर्य है:

- (क) सिंगापुर के मामले में, सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड, सिंगापुर एक्सचेंज सिक्योरिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड और द सेंट्रल डिपॉजिटरी (प्रा.) लिमिटेड द्वारा प्रचालित प्रतिभूति बाजार; और
- (ख) भारत के मामले में, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त कोई स्टॉक एक्सचेंज।

स्पष्टीकरण: विधिक हस्तियों के मामलों को, जिनके प्रामाणिक कारोबारी कार्यकलाप नहीं हैं, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में शामिल किया जाएगा।”

अनुच्छेद 4

2005 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1, 3, 5 और 6 को 1 अप्रैल, 2017 के प्रभाव से विलोपित कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 5

करार को अनुच्छेद 28 के बाद निम्नलिखित नए अनुच्छेद को जोड़कर संशोधित किया जाता है:

“अनुच्छेद 28क

विविध

यह करार किसी संविदाकारी राज्य को कर अपवंचन अथवा कर परिहार की रोकथाम सम्बंधी इसके घरेलू कानून और उपायों को लागू करने से नहीं रोकेगा।”

अनुच्छेद 6

प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करेगा तथा ऐसी प्रक्रियाएं पूरी करने के संबंध में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा। यह प्रोटोकॉल अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा। यदि यह प्रोटोकॉल उपर्युक्त अधिसूचनाओं के लंबित रहने के कारण 31 मार्च, 2017 को प्रवृत्त नहीं होता, तो यह प्रोटोकॉल 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 7

यह प्रोटोकॉल जो इस करार का अभिन्न अंग होगा, तब तक लागू रहेगा जब तक यह करार लागू रहेगा तथा तब तक प्रभावी होगा जब तक खुद यह करार प्रभावी रहेगा।

जिसके साक्ष्य में, अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में दिसम्बर, 2016 के 30 वें दिन अंग्रेजी और हिन्दी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक। दोनों पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

(सुशील चंद्रा)

अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सिंगापुर गणराज्य की सरकार के लिए

(लिम थुआन कुआन)

भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त।”

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2017

(Income Tax)

S.O. 935(E).—Whereas, a Third Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income was signed at New Delhi on the 30th day of December, 2016 (hereinafter referred to as the Third Protocol);

And whereas, the Third Protocol entered into force on the 27th day of February, 2017, being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures as required by the respective laws for the entry into force of the Third Protocol, in accordance with Article 6 of the Third Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the Third Protocol, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

[Notification No. 18/2017/ 500/139/2002-FTD-II]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.

Annexure**“THIRD PROTOCOL****AMENDING THE AGREEMENT****BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA****AND****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE****FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION****AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION****WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore,

Desiring to conclude a Third Protocol to amend the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at India on 24 January 1994, as amended by the Protocol signed at India on 29 June 2005 (hereinafter referred to as “the 2005 Protocol”) and by the Second Protocol signed at India on 24 June 2011 (the Agreement so amended hereinafter referred to as “the Agreement”),

Have agreed as follows:

Article 1

1. The existing paragraph of Article 9 - Associated Enterprises of the Agreement shall be numbered as paragraph 1; and
2. After the said paragraph 1, the following paragraph shall be inserted:
 - “2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the

profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.”

Article 2

Article 13 - Capital Gains of the Agreement shall be amended, with effect from 1 April 2017:

(i) by deleting paragraph 4; and

(ii) by inserting the following paragraphs:

“4A. Gains from the alienation of shares acquired before 1 April 2017 in a company which is a resident of a Contracting State shall be taxable only in the Contracting State in which the alienator is a resident.

4B. Gains from the alienation of shares acquired on or after 1 April 2017 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

4C. However, the gains referred to in paragraph 4B of this Article which arise during the period beginning on 1 April 2017 and ending on 31 March 2019 may be taxed in the State of which the company whose shares are being alienated is a resident at a tax rate that shall not exceed 50% of the tax rate applicable on such gains in that State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4A and 4B of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.”

Article 3

The Agreement is amended by adding after Article 24, the following Article, with effect from 1 April 2017:

“Article 24A

1. A resident of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of paragraph 4A or paragraph 4C of Article 13 of this Agreement if its affairs were arranged with the primary purpose to take advantage of the benefits in the said paragraph 4A or paragraph 4C of Article 13 of this Agreement, as the case may be.

2. A shell or conduit company that claims it is a resident of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of paragraph 4A or paragraph 4C of Article 13 of this Agreement. A shell or conduit company is any legal entity falling within the definition of resident with negligible or nil business operations or with no real and continuous business activities carried out in that Contracting State.

3. A resident of a Contracting State is deemed to be a shell or conduit company if its annual expenditure on operations in that Contracting State is less than S\$ 200,000 in Singapore or Indian Rs. 5,000,000 in India, as the case may be:

- (a) in the case of paragraph 4A of Article 13 of this Agreement, for each of the 12-month periods in the immediately preceding period of 24 months from the date on which the gains arise;
- (b) in the case of paragraph 4C of Article 13 of this Agreement, for the immediately preceding period of 12 months from the date on which the gains arise.

4. A resident of a Contracting State is deemed not to be a shell or conduit company if:

- (a) it is listed on a recognised stock exchange of the Contracting State; or
- (b) its annual expenditure on operations in that Contracting State is equal to or more than S\$ 200,000 in Singapore or Indian Rs. 5,000,000 in India, as the case may be:
 - (i) in the case of paragraph 4A of Article 13 of this Agreement, for each of the 12-month periods in the immediately preceding period of 24 months from the date on which the gains arise;

- (ii) in the case of paragraph 4C of Article 13 of this Agreement, for the immediately preceding period of 12 months from the date on which the gains arise.

5. For the purpose of paragraph 4(a) of this Article, a recognised stock exchange means:

- (a) in the case of Singapore, the securities market operated by the Singapore Exchange Limited, Singapore Exchange Securities Trading Limited and The Central Depository (Pte) Limited; and
- (b) in the case of India, a stock exchange recognised by the Securities and Exchange Board of India.

Explanation: The cases of legal entities not having bona fide business activities shall be covered by paragraph 1 of this Article."

Article 4

Articles 1, 3, 5 and 6 of the 2005 Protocol shall be deleted, with effect from 1 April 2017.

Article 5

The Agreement is amended by adding after Article 28, the following Article:

“Article 28A

MISCELLANEOUS

This Agreement shall not prevent a Contracting State from applying its domestic law and measures concerning the prevention of tax avoidance or tax evasion.“

Article 6

Each of the Contracting States shall complete the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol and notify the other State about such completion of the procedures. This Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications. If this Protocol does not enter into force as at 31 March 2017 due to either of the aforesaid notifications remaining pending, this Protocol shall enter into force on 1 April 2017.

Article 7

This Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall remain in force as long as the Agreement remains in force and shall apply as long as the Agreement itself is applicable.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi on this 30th day of December, 2016, in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In the case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

(Sushil Chandra)

Chairman, Central Board of Direct Taxes

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
SINGAPORE

(Lim Thuan Kuan)

High Commissioner of Singapore to India”.